राज्य सेक्टर/आयोजनागत
संख्या–1114/ III (2)/05–34(बजट)/2005

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्तसचिव,
उत्तराचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लो0नि0वि0,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 20 मई, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–2006 में जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के अर्न्तगत चालू कार्यो हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त,अनुभाग–1 के पत्र संख्या– 527ए/XXVII(1)/2005 दिनांक 26 अप्रैल, 2005 के अनुपालन में एवं आपके पत्र संख्या–268/54 बजट(एस.सी.पी./टी.एस.पी.)/2005–06 दिनांक 21.4.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के अर्न्तगत चालू कार्यो हेतु प्राविधानित रूपये 140000 हजार (रू0 चौदह करोड मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– (क) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू कार्यो पर अनुमोदित लागत की सीमा तक सर्वप्रथम उन कार्यो पर किया जायेगा, जिसमे 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, जिन खण्डो मे 75 प्रतिशत या उससे अधिक कार्य अवशेष नही है, उन खण्डों मे 50 प्रतिशत से अधिक के उपलब्ध कार्य किये जायेगे एवं व्यय करने से पूर्व चालू कार्यो की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(ख) अनुसूचित जनजाति के अर्न्तगत मानकों का परियोजना चयन मे ध्यान रखा जायेगा।

(ग) स्वीकृत धनराशि के संबंध मे जिलेवार फांट करके खण्डवार संकलित प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) उक्त स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यो के विवरण एवं वित्तीय व भौतिक प्रगति का विवरण भी कार्य पूर्ण होने के 15 दिन अथवा 31–03–06 जो भी पूर्व मे हो तक उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण विगत वर्ष उक्त योजनाओ मे स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा।

(ड) निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व तथा निर्माण हेतु पूर्ण धनराशि के व्यय के बाद निर्माण कार्य की योजनावार अनुमानित लागत तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करायेगे।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का त्रैमासिक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा तथा वित्तीय/भौतिक लक्ष्यो का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक रूप से जनपदवार/योजनावार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जायेगा।

क्रमशः–2

Nic-193

6- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

7- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

8- व्यय उन्ही मदो पर किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि जिलेवार आबंटित प्लान परिव्यय के अनुसार जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति के अनुसार ही धनराशि जनपदवार आहरित की जाय ।

10- इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31 लेखाशीर्षक-5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04-जिला तथा अन्य सडकें आयोजनागत-796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना-02 चालू निर्माण कार्य -00-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0-366(1)/वित्त अनुभाग-3/05, दिनांक 21.05.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 1114 (1)/III(2)/05, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराचल,इलाहाबाद/ देहरादून।
2- आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल।
3- सचिव, समाज कल्याण (नियोजन प्रकोष्ठ), उत्तराँचल शासन।
4- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5- मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायू क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोड़ा।
6- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन / गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।